



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 814]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 25, 2016/अग्रहायण 4, 1938

No. 814]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 25, 2016/AGRAHAYANA 4, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2016

सं. 140/2016-सीमाशुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 1092(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), की धारा 156 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, इस निरसन से पूर्व की गई अथवा लोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, सा.का.नि. संख्या 758(अ), दिनांक 19 नवंबर, 2004 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 19 नवम्बर, 2004 की अधिसूचना सं. 128/2004-सीमाशुल्क (गै.टै.) को एतद्वारा निरस्त करती है।

[फा. सं. 401/234/2010-सीमाशुल्क III]

बि. कोंथौजम, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)**

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November, 2016

No. 140/2016-Customs (N.T.)

G.S.R. 1092(E).—In exercise of the powers conferred by section 156 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), Notification No. 128/2004-Customs (N.T.), dated 19th November, 2004, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.758(E), dated the 19th of November, 2004, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. 401/234/2010-Cus. III]

B. KONTHOUJAM, Under Secy.